संख्याः- 9/2015/857/11-5-2015-218(6)/2015

प्रेषक,

सुधीन्द्र कुमार,
उप सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

प्रमुख सचिव,
न्याय अनुभाग-7 (कल्याण निधि)
उत्तर प्रदेश शासन।

कर एवं निबन्धन अनुभाग-5 लखनऊ दिनांक 24 अप्रैल, 2015

विषय: वित्तीय वर्ष 2015-16 के (आय-व्ययक) अनुदान संख्या-91 के अन्तर्गत व्यवस्थित धनराशियों का निवर्तन पर रखा जाना ।

महोदय,

उपरोक्त विषयक वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1, के पत्र संख्या-2/2015/बी-1-925-दस-2015-231/2015 दिनांक 30-03-2015 एवं अपर सचिव, राजस्व परिषद, उ0प्र0 इलाहाबाद के पत्र संख्या-847/नौ-104/2015, दिनांक 11-04-2015 के सन्दर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि निवेश प्रमाण-पत्र पर देय स्टाम्प शुल्क हेतु उ0प्र0 अधिवक्ता कल्याण निधि समिति को भुगतान किये जाने हेतु श्री राज्यपाल महोदय वित्तीय वर्ष 2015-16 के लिए संस्थागत वित्त (स्टाम्प एवं पंजीकरण) के अनुदान संख्या-91 के आयोजनेत्तर पक्ष में राजस्व लेखा-2030-स्टाम्प पंजीकरण-02-स्टाम्प न्यायिकेत्तर-800-अन्य व्यय-03-निवेश प्रमाण-पत्र पर देय स्टाम्प शुल्क का उत्तर प्रदेश अधिवक्ता कल्याण निधि समिति को संक्रमण-42-अन्य व्यय मद में वित्तीय वर्ष 2015-16 हेतु प्राविधानित धनराशि रु0 7000 हजार (रुपये सत्तर लाख मात्र) आपके निवर्तन पर रखे जाने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है:-

(1) उक्त प्राविधानित धनराशि को श्री राज्यपाल द्वारा उ0प्र0 के भारतीय स्टाम्प अधिनियम-1899 (यथा संशोधित) की अनुसूची -1-ख के अनुच्छेद-17 'क' के अन्तर्गत निवेश प्रमाण-पत्र पर अधिवक्ताओं द्वारा देय स्टाम्प शुल्क में हुए व्यय के आधार पर रु0 7000 हजार (रुपये सतर लाख मात्र) से अनधिक धनराशि का भुगतान उ0प्र0 अधिवक्ता कल्याण निधि न्यासी समिति को प्रशासकीय विभाग के माध्यम से वित्त विभाग की सहमति प्राप्त कर किया जायेगा।

(2) इस संबंध में होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2015-16 के आय-व्ययक में अनुदान संख्या-91 के लेखाशीर्षक-2030-स्टाम्प पंजीकरण-02-स्टाम्प न्यायिकेत्तर-

---

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

800-अन्य व्यय-03-निवेश प्रमाण-पत्र पर देय स्टाम्प शुल्क का उत्तर प्रदेश अधिवक्ता कल्याण निधि समिति को संक्रमण-42-अन्य व्यय मद के नामें डाला जायेगा।

(3) प्रश्नगत मद में प्राविधानित धनराशि के सापेक्ष अवमुक्त धनराशि का विवरण तथा वित्तीय वर्ष के अन्त में बची हुई धनराशि के समर्पण का प्रस्ताव प्रशासकीय विभाग को समय से उपलब्ध कराने का दायित्व न्याय विभाग (न्याय अनुभाग-7) (कल्याण निधि) का होगा।

2- यह आदेश वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1, के कार्यालय ज्ञाप संख्या-2-2015-बी-1-925-दस-2015-231/2015 दिनांक 30-03-2015 के द्वारा प्रतिनिधानित अधिकारों के अन्तर्गत जारी किये जा रहे हैं, जिसकी प्रति सचिवालय के समस्त अनुभागों को पृष्ठांकित की गई है। अत: उक्त आदेश में निहित निर्देशों/प्रक्रिया का अक्षरश: अनुपालन सुनिश्चित कराने का कष्ट करें।

भवदीय,

(सुधीन्द्र कुमार)
उप सचिव।

संख्या-9/2015/857(1)/11-5-2015, तद्दिनांक :

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय उ0प्र0 इलाहाबाद।
2. प्रधान महालेखाकार (सिविल आडिट) प्रथम/द्वितीय उ0प्र0 इलाहाबाद।
3. वरिष्ठ कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
4. निदेशक, वित्त सांख्यिकीय निदेशालय, लखनऊ।
5. अपर सचिव, राजस्व परिषद् उ0प्र0 इलाहाबाद को इस आशय से कि वे कृपया इस शासनादेश को विभागीय वेव साइट पर अपलोड कराने का कष्ट करें।
6. वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-9।
7. वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1/2।
8. गार्ड फाइल।

(सुधीन्द्र कुमार)
उप सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in